न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल,आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 33 / 2012
2018 / 00093

प्रार्थी
लालसिंह पुत्र करणसिंह जाति
राजपूत निवासी डाडोकी
तहसील रानीवाडा जिला
जालोर

अप्रार्थीगण
1. मानाराम पुत्र गणेशाराम
2. वेलाराम पुत्र गणेशाराम
3. मफाराम पुत्र गणेशाराम
   ना.बा. जरिये कुदरती
   वली मानाराम पुत्र
   गणेशाराम जातियान
   कलबी निवासी डाडोकी
   तहसील रानीवाडा जिला
   जालोर
4. भूमिधारी तहसीलदार
   रानीवाडा जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–
1. प्राथी अधिवक्ता श्री अमृतलाल कटारिया।
2. अप्रार्थी सं.1,2 व 3 अनुपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 4 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा।

निर्णय

दिनांक – 10.10.2019

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सरहद मौजा डाडोकी तहसील रानीवाड़ा में प्रार्थी के खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 28 रकबा 3.91 हैक्टयर स्थित है। जिसकी खातेदारी प्रार्थी के नाम से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। प्रार्थी की उक्त आराजी में आने–जाने के लिए व कृषि कार्य के लिये जुताई का साधन ट्रेक्टर ट्रोली आदि लाने ले जाने हेतु कोई रिकॉर्डेड आम रास्ता स्थित नहीं है तथा प्रार्थी भी उक्त आराजी मे जाने जाने हेतु खसरा नम्बर 23 रकबा 4.60 है॰में से होते हुये रास्ता (नदी तथा नाले की भुमि) खसरा नम्बर 39 तक जाने हेतु कम आराजी की आवश्यकता पड़ती है। प्रार्थी की उक्त आराजी के दक्षिण पुर्व में खसरा नम्बर 23 स्थित है। जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड मे राणाराम,जोईताराम पुत्र धीराराम कौम कलबी के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 23 के दक्षिण मे एक रास्ता (नदी तथा नाले की भुमि) खसरा नम्बर 39 स्थित है, जिनका उपयोग रास्ते के रूप में उपयोग में किया जाता आ रहा है। प्रार्थी उक्त रास्ते की आराजी खसरा नम्बर 39 से खसरा नम्बर 23 में से होकर आवागमन करते आ रहे है परन्तु अब खसरा नम्बर 23 के खातेदारो को उक्त आराजी खसरा नम्बर 23 के पश्चिमी माठ के लगतो लगत प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 28 मे आने जाने हेतु आम रास्ता तक आपसी सहमति से रास्ता देने हेतु कहा परन्तु खसरा नम्बर 23 के खातेदारी ने रास्ता देने से इन्कार कर दिया । इसलिए प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 39 से खसरा नम्बर 23 की पश्चिमी माठ के लगतो लगत 24 फीट रास्ता प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 28 तक दिया जाना आवश्यक है। प्रार्थी की आराजी मे आने जाने हेतु अन्य कोई

रास्ता उपलब्ध नहीं है। तथा प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 28 में आने–जाने हेतु प्रार्थी को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। उक्त रास्ते के बिना प्रार्थी अपनी उक्त आराजी में काश्त नहीं कर पायेगे न ही अपने खेत में बनी ढाणी में निवास कर पायेगे। प्रार्थी अदालत हाजा के आदेशानुसार खसरा नम्बर 23 के खातेदारे को प्रतिकर देने हेतु तैयार है। प्रार्थी को उपरोक्त वर्णित आराजी मे आने–जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है तथा खसरा नम्बर 23 में से प्रार्थी को रास्ता देने मे कम से कम आराजी की आवश्यकता है। अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी को आने–जाने हेतु रास्ता दिये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर इस न्यायालय द्वारा पुर्व में दिनाँक 8.4.2015 को निर्णय सुनाया गया। जिससे प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता की सुविधा उपलब्ध होने से आन्तरिक रास्ते की आवश्यकता होनी प्रतित नहीं होती है। इस संबंध में प्रार्थी धारा 251 के तहत सुखाचार का लाभ सक्षम न्यायालय से प्राप्त कर सकता है। अतः उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

इस निर्णय की अपील अपीलान्ट लालसिंह द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प जालोर की गई जिसमे दिनाँक 24.1.2018 को निर्णय सुनाया गया जिसके अनुसार अपील आंशिक स्वीकार की गई तथा इस न्यायालय के आदेश दिनाँक 8.4.2015 को अपास्त कर प्रार्थना–पत्र के observation को दृष्टिगत रखते हुऐ विधि सम्मत आदेश पारित करने के निर्देश के साथ प्राप्त हुई।

जिस पर पत्रावली को राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय के निर्णय की पालना में पुनः उसी नम्बर पर दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान को सुचित किया गया। तथा तहसीलदार रानीवाडा से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर बिन्दुवार जाँच रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर अप्रार्थी सख्या 4 तहसीलदार रानीवाड़ा से जवाब पत्रांक 5196 दिनाँक 16.7.2019 द्वारा दिया पेश किया गया जिसके तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी में आने जाने हेतू रास्ता खसरा नम्बर 23 में से चाहा गया है। परन्तु खसरा नम्बर 24 या 26 में से रास्ता दिया जाये तो अपेक्षाकृत कम भूमि की आवश्यकता रहती है। खसरा नम्बर 26 में से रास्ता दिये जाने पर लम्बाई 122 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर से कुल क्षेत्रफल 732 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 24 से रास्ता दिये जाने पर लम्बाई 128 मीटर तथा चौडाई 6 मीटर से कुल क्षेत्रफल 768 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता होगी है। तथा प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 39 गै.मू. नाला से जोडता है। किसी कटान रास्ते से नहीं जुडता है। तथा प्रार्थी के पास वर्तमान में रास्ता उपलब्ध नहीं है। तथा प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 26 के खातेदारान् को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जो बनाया जाना आवश्यक है। तथाा प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान डी0एल0सी0 दर 257072 प्रति हैक्टेयर है। तहसीलदार रानीवाडा द्वारा पेश रिपोट में प्रस्तावित रास्ते संलग्न मौका फर्द में दर्शाया गया है।

अतः तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा अपने जवाब में रास्ता दिया जाना उचित माना है तथा खसरा नम्बर 24 या 26 मेसे कम दुरी होने से रास्ता दिया जाने पर कम दुरी होगी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी स॰ 4 तहसीलदार रानीवाड़ा की बहस सुनी तथा खसरा नम्बर 26 मेसे रास्ता देने से कम आराजी की आवश्यकता होगी व कम दुरी पर स्थित होने से खसरा नम्बर 26 मे से रास्ता दिया जाना उचित रहेगा। इस पर प्रार्थी वकील द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी बाबत पुराने पक्षकार को हटाकर नये पक्षकार जोडने हेतु पेश किया जिसमें खसरा नम्बर 26 के खातेदार को पक्षकार बनाने हेतु पेश किया। जिसको स्वीकार किया गया तथा प्रार्थी वकील द्वारा खसरा नम्बर 26 के खातेदार को अप्रार्थी संख्या 1 मानाराम पुत्र गणेशाराम 2 वेलाराम पुत्र गणेशाराम व 3 मफाराम पुत्र गणेशाराम ना.

बा. जरिये कुदरती वली मानाराम पुत्र गणेशाराम जाति कलबी निवासी डाडोकी को नये पक्षकार संयोजित करने हेतु संशोधित शीर्षक पेश किया गया। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 तक पूराने पक्षकारों को हटाकर नये पक्षकार संयोजित किये गये।

अप्रार्थी संख्या 1 से 3 बावजुद नोटिस तामील होने से अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एक पक्ष कार्यवाही की गई। तथा अप्रार्थी सख्या 4 का जवाब पुर्व मे पेश किया गया जिसके अनुसार खसरा नम्बर 26 से कम दुरी पर होने से कम भुमि की आवश्यकता होगी।

हमने प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत जबाव व दस्तावेज एवं बहस के तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 28 रकबा 3.91 हैक्टेयर मौजा डाडोकी की जमाबंदी संवत 2065 से 2072 के खाता संख्या 99 में दर्ज है। इसी ग्राम की जमाबंदी के खाता संख्या 35 में खसरा नम्बर 26 रकबा 1.50 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 4 की और से जवाब मे खसरा नम्बर 26 के अलावा कोई रास्ता नजदीकतम नही है। तथा खसरा नम्बर 26 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा उक्त रास्ता देने के संबंध में न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति नही की गई तथा न ही कोई खण्डन किया । तहसीलदार रानीवाडा ने अपने जवाब में प्रार्थी को रास्ते की लम्बाई 122 मीटर व चौडाई 6 मीटर कुल क्षेत्रफल 732 वर्गमीटर है। जिसकी डी0एल0सी0 दर 257072 प्रति हैक्टेयर है। उक्त तथ्यो के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

—: आदेश :—

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के खसरा नम्बर 28 में से आवागमन हेतु खसरा नम्बर 26 मे सें रास्ता दिया जाता है। जिससे रास्ते की लम्बाई 122 मीटर व चौडाई 6 मीटर कुल क्षेत्रफल 732 वर्गमीटर है। जो आगे खसरा नम्बर 39 किस्म गैर मुमकिन नाला से जोडता है। तथा वर्तमान में खसरा नम्बर 39 रास्ते हेतु उपयोग में आ रहा है। खसरा नम्बर 26 की डी.एल.सी दर 257070 रूपये प्रति हैक्टर दर्शाई है। उक्त दर या वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर की दर में वृद्वि हो तो उसकी दुगुनी प्रतिकर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट अप्रार्थी सख्या 1 से 3 के हिस्से अनुसार अदा करने हेतु प्रार्थीगण से मंगवाकर भुगतान करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा डिमाण्ड़ ड्राफ्ट से अप्रार्थीगण के नाम जारी करवा कर पेश करने पर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को प्रतिकर की राशि का भुगतान करे तथा भुगतान की प्राप्ति इस न्यायालय को प्रस्तुत करे। तत्पश्चात तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा अपने जवाब मे प्रस्तुत मौका प्रति अनुसार मार्क एफ से जी तक लम्बाई 122 व चौडाई 6 कुल क्षेत्रफल 732 वर्गमीटर का राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करें तथा उक्त रास्ते की नक्शा लट्ठा मे तरमीम की जावे। निर्णय की प्रर्ति तहसीलदार रानीवाड़ा को पालना हेतु भेजी जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला—जालोर

निर्णय आज दिनांक 10.10.2019 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला—जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2019.12.23 20:31:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: